



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-75

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 263311 दिनांक 25/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Nirmal Kumar Jain S/o UGGAR SEN JAIN एवं VINOD KUMAR JAIN S/o UGGAR SAIN JAIN एवं ANIL JAIN S/o UGGAR SAIN JAIN	उग्रसेन जैन पुत्र एनएम जैन	75	272.22 SQ. YARD	Cooperative	ANAND VIHAR Sector/Block-D	Name Transfer	दी रेल्वेमैन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आनंद विहार के भूखण्ड संख्या डी-75 क्षेत्रफल 272.22 व.ग. की लीजडीड दिनांक 15.06.1994 को उग्रसेन जैन पुत्र एनएम जैन के नाम से जारी की गयी है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 16.09.2022 को बीना जैन, कुसुम जैन एवं अनिता जैन पुत्रियां स्व. उग्रसेन जैन द्वारा अपने अविभाजित हिस्से का अपने भाईयों विनोद कुमार जैन, निमल जैन एवं अनिल जैन पुत्रान् स्व. उग्रसेन जैन के हक में कर दिया गया।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आवेदकगण विनोद कुमार जैन, निमल जैन एवं अनिल जैन पुत्रान् स्व. उग्रसेन जैन द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है। आवेदकगण द्वारा मूल लीजडीधारी एवं अपनी माताजी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं की गयी है जिससे उक्त भूखण्ड पर आवेदकगण का स्वामित्व सिद्ध नहीं हो रहा है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Nirmal Kumar Jain S/o UGGAR SEN JAIN एवं VINOD KUMAR JAIN S/o UGGAR SAIN JAIN एवं ANIL JAIN S/o UGGAR SAIN JAIN को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।